# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/पीएसपी–सी/अ–2/60566/वो–1/2024–25 दिनांक : 08.10.2023

## विज्ञप्ति

शैक्षिक सत्र 2024–25 के लिए गैर सरकारी क्षेत्र मे संचालित विद्यालयों की प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर की नवीन मान्यता, उच्च प्राथमिक /माध्यमिक / उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति तथा विद्यमान गैर सरकारी विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय/विषय/माध्यम तथा भवन/स्थान/वर्ग /नाम/माध्यम परिवर्तन, वर्चुअल विद्यालय मान्यता, प्रबन्ध अन्तरण, मान्यता समर्पण **एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड से संबंद्धता प्राप्त किए जाने हेतु एनओसी** आदि हेतु इच्छुक संस्थाओं से अग्रांकित टाईमफ्रेम के अनुसार ऑन लाइन आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं–

| विज्ञप्ति टाईम–फ्रेम | | | |
|---|---|---|---|
| **क्र. सं.** | **गतिविधि** | **टाइम फ्रेम** | **संबंधित कार्यालय** |
| 1. | निदेशालय द्वारा विज्ञप्ति जारी करना | 08.10.2023 | निदेशालय |
| | **प्रथम भाग – दस्तावेज सत्यापन** | | |
| 2. | गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं द्वारा ऑन लाइन आवेदन कर समस्त पत्रावली स्केन कर ऑनलाइन अपलोड कर आवेदन शुल्क ई–ग्रास पोर्टल के माध्यम से जमा कराते हुए आवेदन मय समस्त सूचना लॉक करना। | 18.10.2023 से 31.03.2024 | सम्बन्धित संस्था |
| 3. | विद्यालय द्वारा लॉक आवेदन में किसी प्रकार के संशोधन की कार्यवाही | आवेदन लॉक करने की तिथि से 05 दिवस की अवधि तक | संबंधित संस्था |
| 4 | लॉक आवेदन एवं अपलोडेड दस्तावेजों का सत्यापन | संशोधन अवधि पश्चात 15 दिवस के भीतर | संबंधित जिशिअ(मु) प्रारम्भिक/माध्यमिक |
| | **द्वितीय भाग – भौतिक निरीक्षण** | | |
| 4. | दस्तावेज सत्यापन पश्चात निदेशालय से फारवर्ड पत्रावली में विद्यालय द्वारा आवेदन अनुसार शेष शुल्क ऑनलाईन ई–ग्रास के माध्यम से शुल्क जमा करवा दिये जाने की स्थिति में ऑटो जेनरेटेड निरीक्षण दल का गठन। | जिशिअ द्वारा दस्तावेज सत्यापन उपरान्त एवं शेष शुल्क जमा करवाये जाने पश्चात से लगातार.... | एनआईसी एवं निरीक्षण दल |
| 5. | निरीक्षण दल प्रभारी द्वारा भौतिक सत्यापन 07 दिवस में कर निरीक्षण प्रतिवेदन की रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड मय अभिशंषा करना व विद्यालय द्वारा अपलोड की गई पत्रावली की हार्ड कॉपी विद्यालय से प्राप्त कर सम्पूर्ण तथ्यों के क्रम में परीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन पत्रावली की हार्ड कॉपी सहित 02 दिवस (निरीक्षण उपरांत) में जिशिअ. कार्यालय में जमा करवाना। | दल गठन के 7 दिवस के भीतर | संबंधित संस्था, निरीक्षण दल एवं संबंधित जिशिअ. कार्यालय |
| 6. | प्रकरण का परीक्षण – निरीक्षण दल द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट मय पत्रावली प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर प्राप्त पत्रावली का पूर्ण परीक्षण करना। परीक्षण कर आवेदनों के परिप्रेक्ष्य में पोर्टल पर अपनी नियमसंगत स्पष्ट अनुशंषा सहित निदेशालय को अग्रेषित करना एवं निरीक्षण | निरीक्षण दल द्वारा पत्रावली जमा करवाने के 15 दिवस के भीतर | संबंधित जिशिअ प्रार./माध्यमिक एवं संबंधित संस्था |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | प्रतिवेदन एवं पेन ड्राइव विडियो निदेशालय को वाहक स्तर पर उपलब्ध करवाना। | | |
| 7. | निदेशालय द्वारा मान्यता/क्रमोन्नति हेतु अनुमोदन जारी करना | जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पत्रावली निदेशालय स्तर पर ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी प्राप्त होने की दिनांक से लगातार | निदेशालय माशि. /प्राशि. राजस्थान |
| 09 | निदेशालय द्वारा अनुमोदन किए जाने के उपरांत पात्र संस्थाओं से सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन में डीडी प्राप्त करना। | निदेशालय से अनुमोदन उपरान्त 15 दिवस की अवधि में | संबंधित संस्था एवं कार्या. जिशिअ. प्राशि/माशि मुख्यालय |
| 10 | मान्यता आदेश/निरस्त आदेश/संबद्धता हेतु एनओसी जारी कर विद्यालयों को उपलब्ध करवाना। | निदेशालय स्तर से अनुमोदन की दिनांक से 10 दिवस के भीतर | निदेशालय माशि/ कार्यालय जिशिअ. प्राशि/माशि. मुख्यालय |
| | **तृतीय भाग – अपील सुनवाई** | | |
| 11 | निदेशालय माशि/संबंधित जिशिअ कार्यालय द्वारा निरस्ती प्रमाण पत्र जारी किये जाने पश्चात पोर्टल द्वारा ऑनलाईन माध्यम से निर्णय के विरूद्ध शासन स्तर पर अपील प्रस्तुत करना। | निरस्ती प्रमाण पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर | शासन स्तर पर |

नोटः 1. विद्यालयों द्वारा कैलेण्डर की पालना नहीं करने की स्थिति में आवेदन हेतु स्वतः ही अपात्र हो जायेंगे।

2. उक्त संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगें।

आज्ञा से

08.10.2023

जिला शिक्षा अधिकारी (पीएसपी)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषितः–**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
5. सिस्टम एनालिस्ट (कम्प्यूटर अनुभाग) को विज्ञप्ति टाईमफ्रेम विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

जिला शिक्षा अधिकारी (पीएसपी)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर